संख्याः 73 /18(1)/2006

प्रेषक,

एम०एस०नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तरांचल शासन।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांक 27 मार्च, 2006

विषयः–दून विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम छरबा जनपद देहरादून में 40.330 है० अतिरिक्त भूमि निःशुल्क आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या–947/12ए–22(205–06) डी०एल०आर०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2006 एवं शासनादेश संख्या–79(1)/18(1)/2005 दिनांक 28–2–2005, शासनादेश संख्या–470/18(1)/2005 दिनांक 16–7–2005 एवं शासनादेश संख्या–73/18(1)/2006 दिनांक 23–1–2006 क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–260/ वि०अनु०–3/ 2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 की व्यवस्थानुसार ग्राम छरबा तहसील विकासनगर जनपद देहरादून के खाता संख्या–1139 के खसरा नं०–253क रकबा 3.568है०, खसरा नं०–260ट रकबा 2.222है०, खसरा नं०–278ख रकबा 1.135है०, खसरा नं०–1530क रकबा 1.822है०, खसरा नं०–1531ख रकबा 2.729है०, खसरा नं०–1532ख रकबा 1.100है० तथा खाता संख्या–1147 के खसरा नं० 260ख रकबा 14.187है०, खसरा नं०–1531क रकबा 3.223है०, खसरा नं०–1532क रकबा 2.284है०, खसरा नं०–1618 रकबा 2.060है०, खसरा नं०–17क रकबा 6.000है० अर्थात कुल रकबा 40.330है० भूमि दून विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

.....(2)

3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की गई है उसके भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष बची रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7- प्रस्तावित भूमि पर खड़े वृक्षों के पातन हेतु नियत प्राधिकारी, वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3- जिलाधिकारी, देहरादून।
4- एन0आई0सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रोहन लाल)
अपर सचिव।